13 9/23

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्रों पर दिनांक 05.09.2023 को सुना जाकर आदेश हेतु रिजर्व रखी गयी थी।

सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2021 की अपीलार्थी को कभी भी जानकारी नहीं रही है। जानकारी होते ही दिनांक 04.04.2022 को जवाब पेश किया गया तथा जवाब पेश कर तकासमा बाबत् अनापत्ति दी उसके बावजदू भी अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलांटस के विरूद्ध जारी कर रखी है, जबकि स्थगन आदेश कण्डीशनल जारी किया गया था इसलिए अपीलांटस द्वारा अविलम्ब दिनांक 22.12.2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है , वह प्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर नहीं हुआ है, अपितु जानकारी के अभाव एवं कण्डीशनल स्थगन जारी होने से हुआ है इस प्रकार-जो देरी हुई है उसको डिले कण्डोन किया जाकर प्रार्थीगण की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कण्डोन किया जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

तत्पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2021 पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय के होने के कारण स्थगन पर आदेश नहीं दिया गया, इसलिए स्थगन प्रार्थना पत्र पर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने एक वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलांटस व अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस संख्या 0 लगायत 11 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 4.7800 है. वाकै ग्राम पानवाकलां तहसील दूदू में स्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का 1/9 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 3 का 1/15 हिस्सा है एवं अप्रार्थीगण मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है। अप्रार्थीगण अभी हाल ही में दिनांक 0501.2021 को अजनबी व्यक्तियों को लेकर विवादित आराजीयात पर आये और विवादित आराजी दिखाने लगे जब प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम विवादित आराजीयात का विक्रय कर प्रार्थीगण को बेदखल करेगे, जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा उक्त वाद बाबत् तकासमा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12.01.2021 को एक पक्षीय रूप से स्थगन आदेश जारी कर दिया, उक्त स्थगन आदेश से व्यक्ति होकर अपीलांट द्वारा यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध मात्र तकासमा का वाद पेश किया है चूँकि अपीलार्थीगण विवादित आराजीयात के सहकृषक है इसलिए एक सहकृषक को अपनी आराजीयात का रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने बाबत् करवाने का अधिकारी नही है। अपीलार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकारी है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत् उसे सुनवाई का समुचित समय दिया जाना चाहिए था, विधि द्वारा यह तथ्य

13.9.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सुस्थापित है कि रेंकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी तरह की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। मान्नीय न्यायालय द्वारा सम्बन्धित प्रकरण संख्या 12/2023 बउनवानी काली देवी बनाम मनभरी वगैरह में दिनांक 10.01.2023 को प्रार्थीगण/अपीलांट को सुना जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2023 की क्रियान्विति आगामी पेशी तक स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश में मान्नीय न्यायालय ने यह माना कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कर प्रकरण को लम्बित किया हुआ है तथा रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है,इसलिए अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किये है, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विधिक प्रावधानो को दरकिनार करते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कर दिया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य हैं । प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 3/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2021 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से दिया गया है। दिनांक 04.04.2022 को वर्तमान प्रार्थी 1 व 2 द्वारा जो कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 01 व 02 थे ने अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 12.01.2021 को कंडिशनल आदेश जारी किया गया था उक्त आदेश के बाद जवाब प्राप्त होने के बावजूद दिनांक 19.12.2022 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय नही दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार 22.12.2022 को नकल प्राप्त कर उसके द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई अतः अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जावे। अपील का अवलोकन किया गया न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। प्रार्थी के पास यही अंतिम विकल्प बचा था िकवह अपील करता क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जगदीश प्रसाद बनाम भोपालाराम में दिये गये गाईड लाईन की बिन्दु संख्या 4 (आदेश 39 नियम 3 ए) की पालना न करते हुए पत्रावली को अनिर्णय में रखा गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय अपील को न्यायहित में अंदर मियाद शुमार करता है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2021 कर क्रियान्विति को स्थगित रखे जाने हेतु निवेदन किया है। यह सही है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर सहखातेदार के रूप में काबिज काश्त है और विवादित भूमियों बाबत बंटवारे का वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है विधिअनुसार सहखातेदारी के प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है तथा किसी भी सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नही कि जा सकती है। आर0आर0टी0 2014–15 (supplementary) गणपतसिंह बनाम बलवीर सिंह एवं अन्य, आर0आर0डी 2015 पेज संख्या 368 में दिये गये न्यायिक दृष्टांत के अनुसार सह खातेदारों के प्रकरण में सम्पूर्ण विवादित भूमि पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश को विधिविरूद्ध माना है। वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति पायी जाती है। प्रार्थी संख्या 01 एवं 02 अन्य अप्रार्थीगण

के साथ सहखातेदार है ऐसी स्थिति में इनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2021 को दिया गया आदेश विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट में अगले दो सप्ताह में उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का अंतिम निस्तारण करे तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 की पालना को स्थगित रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

13.9.23

राजस्व अपील अधिकारी